दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd.No.-UPHIN/2004/15489 www.udyogviharnp.com प्रधान सम्पादक : सत्येन्द्र सिंह

मोदी नापसंद हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से हटाइए, हत्या... P-4

वर्ष : 14 ▸ अंक : 1 ▸ गाजियाबाद, जून, 2018 ▸ मूल्य : 4 रूपया ▸ पृष्ठ : 08 E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

'लॉ ऑफ लेबर' एडवाइजर्स एसोसिएशन उप्र का प्रदेश अध्यक्ष पुनः सत्येन्द्र सिंह को चुना गया

> हमारा प्रयास होगा कि हम सभी विभागों से सामंजस्य बनाकर चलें। वहीं अधिकारियों को ध्यान देना होगा कि नियोक्ताओं का शोषण ना हो तथा उनको जरूरी सहूलियतें विभाग की तरफ से मुहैया कराई जाएं। ताकि उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिले, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा।
>
> -सत्येन्द्र सिंह
> एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष

गाजियाबाद। 'लॉ ऑफ लेबर' एडवाइजर्स एसोसिएशन उ प्र की आम सभा की बैठक में पूरे उत्तर प्रदेश से आये हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। जिसमें सत्येन्द्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष, आर सी माथुर को चेयरमैन, आई एस वर्मा को वाईस चेयरमैन, डॉ. एस एस उपाध्याय-वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अरविन्द श्रीवास्तव उपाध्यक्ष, एवं राजेश सिंह को महा सचिव चुना गया।

साथ ही कौशल कुमार गोयल को गाजियाबाद का जिला अध्यक्ष एवं बृजमोहन को सचिव, गौतमबुद्ध नगर में शैलेश श्रीवास्तव को अध्यक्ष एवं आशीष माथुर को सचिव, कानपुर में वीरेन्द्र सिंह को अध्यक्ष चुना गया है।

कार्यक्रम में पदाधिकारियों को संरक्षक-अशोक श्रीवास्तव, अरुण कुमार, एवं योगेश गुप्ता ने आशीर्वाद दिया एवं शपथ ग्रहण करवाई।

> अधिकारियों ने यदि सही तरीके से कार्य नहीं किया तो उनसे सख्ती से निबटा जाएगा तथा मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी शिकायत करी जायेगी।
>
> -आरसी माथुर चेयरमैन

वरिष्ठ अधिवक्ता एचएल कुमार ने नई कार्यकारिणी को दी बधाई

❑ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संपादक लेबर लॉ रिपोर्टर एच एल कुमार ने 'LLAAUP' के कार्यों की सराहना की तथा उसका प्रधान संरक्षक बनने में हर्ष व्यक्त किया

'LLAAUP' के मुख्य संरक्षक एच एल कुमार जो की सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता तथा श्रम क़ानून सलाहकार है ने नई कार्यकारिणी को बधाई दी तथा कहा है की यूपी में भी फ़िक्स टर्म एम्प्लॉमेंट के लिए सरकार को आइ डी ऐक्ट में संशोधन करके इसे अविलंब लागू करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा की PMPRY योजना का लाभ उन श्रमिकों के

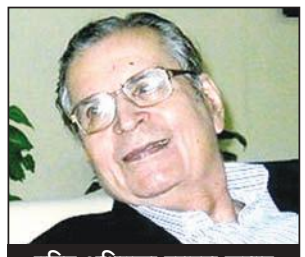

वरिष्ठ अधिवक्ता एचएल कुमार

अंशदान पर भी मिलना चाहिए जिनकी कुल सैलरी 15 हज़ार मासिक से अधिक है तभी सरकार सभी को लाभ दे पाएगी तथा

नियोक्ता भी श्रमिकों को लाभ दे पाएगा। इसके लिए श्रम मंत्री भारत सरकार को 'LLAAUP' ने पत्र लिखकर अनुरोध किया है।

'LLAAUP' प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक

गौतमबुद्धनगर। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किए गए कि एसोसिएशन सभी विभागों के साथ तालमेल बनाकर चलेगी तथा एक नियोक्ता सलाहकार बोर्ड तथा एक श्रमिक सलाहकार बोर्ड का भी गठन प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा किया जाएगा।

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

श्रम–जगत

02 P.

E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

गाजियाबाद, जून, 2018

विभिन्न प्रदेशों का न्यूनतम वेतन

U.P. Minimum Wages

General

w.e.f. 01/04/2018 To 30/09/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	7613.42
Semi Skilled	8374.77
Skilled	9381.06

Engineering (50 to 500)

w.e.f. 01/02/2018 To 31/07/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	8903.10
Semi Skilled	9776.65
Skilled	10853.64

Engineering (above 500)

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	9333.89
Semi Skilled	10267.28
Skilled	11200.67

Delhi Minimum Wages

w.e.f. 01/04/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Skilled	16858.00
Semi Skilled	15296.00
Un-Skilled	13896.00

Rajasthan Minimum Wages

w.e.f. 01/01/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	5338.00
Semi Skilled	5798.00
Skilled	6058.00
Highly Skilled	7358.00

Gujrat Minimum Wages

w.e.f. 01/04/2018 To 30/09/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Zone-I	
UnSkilled	8117.20
Semi Skilled	8325.20
Skilled	8559.20
Zone-II	
UnSkilled	7909.20
Semi Skilled	8117.20
Skilled	8325.20

Punjab Minimum Wages

w.e.f. 01/03/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Highly Skilled	10561.17
Skilled	9529.17
Semi Skilled	8632.17
Un-Skilled	7852.17

Haryana Minimum Wages

w.e.f. 01/01/2017

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	8280.20
Semi Skilled-A	8694.20
Semi Skilled-B	9128.91
Skilled-A	9585.35
Skilled-B	10064.62
Highly Skilled	10567.85

दो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे

गाजियाबाद। मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए कड़कड़ मॉडल और कनावनी में दो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। कड़कड़ मॉडल में एक लाख लोगों की आबादी होने के बावजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था नहीं था। लोगों को इलाज के लिये साहिबाबाद स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाना पड़ता था। केंद्र बनाने के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नरेंद्र कुमार ने बताया लोगों को स्वास्थ्य सेवायें मुहैया कराने के लिये जिलेभर में 35 स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं।

ESIC में नए एंप्लॉयीज के लिए कंपनी की तरफ से पैसा दे सकती है सरकार

नई दिल्ली। रोजगार बढ़ाने की कोशिश के तौर पर लेबर मिनिस्ट्री एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ESIC) को हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में नए एंप्लॉयीज के लिए एंप्लॉयर के हिस्से का भुगतान करने पर विचार कर रही है। सरकार ने इस वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) के तहत अगले तीन वर्षों तक सभी सेक्टरों में नए एंप्लॉयीज के लिए एंप्लॉयी प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) के तहत प्रॉविडेंट फंड में एंप्लॉयर के 12 पर्सेंट के योगदान का खुद भुगतान करने का वादा किया था।

ESIC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंटी को बताया कि इसका दायरा बढ़ाकर (ESIC) तक करने पर मिनिस्ट्री में चर्चा हुई है। एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस (ESI) एक सेल्फ–फाइनेंसिंग सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसे ESI एक्ट 1948 के तहत ESIC चलाती है। इस स्कीम में 21,000 रूपये प्रति माह तक के वेतन वाले कर्मचारी ESI के लिए 1.75 पर्सेंट और एंप्लॉयर 4.75 पर्सेंट का योगदान देता है। हालांकि, ESIC का फायदा 10 से अधिक कर्मचारियों वाली फर्मों को ही मिलता है, जबकि EPFO के दायरे में 20 या अधिक कर्मचारियों वाली फर्में आती हैं।

सरकार को हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में एंप्लॉयर के योगदान का भुगतान करने के दो फायदे दिख रहे हैं। अधिकारी ने बताया, 'इससे फॉर्मल सेक्टर में अधिक नौकरियां बन सकेंगी और EPF एक्ट के दायरे में न आने वाली 10–20 कर्मचारियों वाली फर्मों को अपने कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध कराने का प्रोत्साहन मिलेगा।' एक्ट के तहत 8.98 लाख से अधिक फैक्टरियों और प्रतिष्ठान आते हैं और इससे तीन करोड़ से अधिक परिवारों को फायदा मिलता है। ESIC के पास 12.40 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। इसके पास 160 हॉस्पिटल और 1,489 डिस्पेंसरी हैं। ESIC के 160 हॉस्पिटल में से लगभग 35 केंद्र सरकार और बाकी संबंधित राज्य सरकारें चलाती हैं। इसके लिए केंद्र बीमा वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3,000 रूपये सालाना का योगदान देता है। ESIC के तहत बीमारी, मेटरनिटी और नकद लाभ उपलब्ध कराए जाते हैं। एक्ट के तहत बीमा वाले व्यक्ति को नौकरी शुरू करने के साथ ही परिवार सहित चिकित्सा लाभ मिलते हैं।

इसमें प्राइमरी हेल्थकेयर सर्विसेज से लेकर बड़ी बीमारियों तक का इलाज शामिल है। ओपीडी सर्विसेज डिस्पेंसरियों के जरिए उपलब्ध कराई जाती हैं, जबकि ESI के हॉस्पिटल्स या इसके नेटवर्क में आने वाले अन्य हॉस्पिटल्स में भर्ती होकर इलाज कराया जा सकता है।

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT. LTD.

ISO 9001 : 2008

A COMPLETE H.R., LABOUR LAWS &

PAY ROLL OUT SOURCING MANAGEMENT

When we are at your back please stopworrying about maintaining records of Factory Act, Shop & Commercial Establishments Act, Contract Labour and Abolition Act, ESIC Act, PF Act, (Boiler) IBR Act, and handling cases relating to Labour Commissioner Office. We feel ourselves much competent

OUR SCOPE OF WORK -

We are committed to provide satisfactory services to the customers by delivering prompt & quality output at value prices. Our end-to-end service includes;

- ❑ Payroll
- ❑ TDS
- ❑ ESI Act
- ❑ EPF Act
- ❑ Minimum Wages Act
- ❑ Bonus Act
- ❑ Payment of Gratuity Act
- ❑ Standing Order
- ❑ Workmen Health & Safety Policy
- ❑ First Aid Training & Certificates
- ❑ Factory Plan & Site Plan
- ❑ Factory Act-1948
- ❑ Shop & Establishment Act

in solving such problems due to our sincere working and wide contacts.

We have a full-fledged office set-up having most modern communication facilities (LAN, e-mail, internet, fax, and integrated telecommunication system), fully computerized environment with highly qualified and competent staff to render efficient and prompt services to our esteemed clients.

Our company is the first ISO-9001:2008 CERTIFIED company in India in this category.

Our Website : www.legalipl.com, **CMD -** 9818036460 / 9818697406

H.O. : SH-295, 1st FLOOR, SHASTRI NAGAR, GHAZIABAD (U.P.) INDIA.
PH. : 0120-4122901, 4108794,
Mobile : 9910771102/04

B.O. : D-129, 1st Floor, Sector-10, NOIDA, GAUTHAMBUDH NAGAR, (U.P.) INDIA.
Ph. : 0120-4222307

E-mail : legalipl@yahoo.com, legaliplho@yahoo.com

उद्योग विहार
निष्पक्ष गासिक सगाचार पत्र
दिल्ली–एनसीआर
03
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com
गाजियाबाद, जून, 2018

मुख्य चिकित्सा अधिकारी को व्हील चेयर एवं स्ट्रैचर उत्थान समिति की तरफ से भेंट

गाजियाबाद। जिला अस्पताल में मरीजों के लिए व्हील चेयर एवं स्ट्रैचर की कमी के बारे में समाचार पत्रों में पढ़कर उत्थान समिति ने मदद करने के लिए जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की। फिर सीएमओ गाजियाबाद डॉ. नरेन्द्र गुप्ता को मरीजों की सहूलियत के लिए जिलाधिकारी श्रीमती रितु माहेश्वरी जी के निर्देशानुसार एक व्हील चेयर एवं एक स्ट्रैचर उत्थान समिति की तरफ से भेंट किया। सीएमओ डॉ नरेन्द्र गुप्ता ने इस अवसर पर उत्थान समिति को प्रशस्ति पत्र दिया।

इस अवसर पर डॉ नरेन्द्र गुप्ता ने उत्थान समिति की प्रशंसा की तथा कहा की जनता को भी सरकार के कार्यों में बराबर की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी तभी हमारे देश में तरक्की सम्भव है। उत्थान इस दिशा में बहुत ही अच्छा प्रयास कर रही है लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए तथा आगे बढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

चेयरमैन सत्येन्द्र सिंह ने कहा की हमारी संस्था ने पिछले वर्ष गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर जी आर पी को भी व्हील चेयर एवं स्ट्रैचर भेंट किये थे।

हमारा प्रयास है की अधिक से अधिक लोगों का भला हो। हमारी संस्था इसी दिशा में निरन्तर प्रयासरत है। इस अवसर पर सत्येन्द्र सिंह, बबिता सिंह, मनोज मिश्रा इत्यादि लोग मौजूद थे।

इमरजेंसी में भी व्हीलचेयर, स्ट्रेचर की सुविधा नहीं

अस्पताल स्टाफ को ऐसे मरीजों को तुरंत स्ट्रेचर और व्हीलचेयर महैया करवाने के निर्देश दिए गए हैं जो खुद चलकर इमरजेंसी तक नहीं पहुंच सकते। जो लोग मरीजों को गोद में उठाकर लाए थे उन्होंने स्ट्रेचर की मांग की होती तो जरूर दिया जाता। इस मामले में मेरे पास किसी तरह की शिकायत नहीं आई है। यदि शिकायत आती है तो उसकी जांच करवाई जाएगी।

–डॉ. जेके त्यागी, सीएमएस
एमएमजी अस्पताल

गाजियाबाद। एक तरफ शासन ने आदेश दिया है कि मृतकों के शव एंबुलेंस से भेजे जाएं, लेकिन जीवित मरीजों को अस्पताल की इमरजेंसी तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। एमएमजी अस्पताल में सोमवार को कई लोग स्ट्रेचर नहीं मिलने पर मरीज को गोद में उठाकर ले जाते नजर आए। शासन का आदेश है कि अस्पताल और इमरजेंसी के गेट पर ही मरीजों को स्ट्रेचर और व्हील चेयर मुहैया करवाई जाए।

इस मामले में पिछले दिनों यूपी हेल्थ स्ट्रेंचनिंग प्रोजेक्ट (यूपीएमएसएसपी) की ओर से भी कड़े निर्देश जारी किए गए थे, बल्कि इस तरह के मामलों की निगरानी के लिए सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी लगाए जाने की योजना भी शासन स्तर से पास हो चुकी है।

एमएमजी अस्पताल में दो महिलाओं को स्ट्रेचर नहीं मिलने पर गोद में उठाकर लाया और ले जाया गया।

केस–1 : पुराना बस अड्डा के पास रहने वाली एक महिला ने रोजा रखा हुआ था। दोपहर में अचानक तबीयत खराब हो गई। महिला का पति उसे एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में लाया। यहां पता चला कि उसका हीमोग्लोनि कम व डिहाइड्रेशन की दिक्कत है। इस कारा उसकी हालत बिगड़ी है। इमरजेंसी से प्राथमिक उपचार के बाद उसे वापस भेज दिया गया। अस्पताल के गेट से इमरजेंसी तक पहुंचने और वापस जाने के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से उसे स्ट्रेचर या व्हीलचेयर नहीं दी गई, जिसके कारण महिला को उसका पति गोद में लेकर घूमता रहा। हालांकि जब उनसे इस बार में पूछा गया तो उन्होंने किसी तरह की शिकायत करने से इन्कार कर दिया। दूसरा मामला भी इसी दौरान सामने आया।

केस–2 : पटेलनगर में रहने वाली महिला को उसका बेटा तबीयत खराब होने पर एमएमजी अस्पताल लेकर पहुंचा था। तेज धूप और गर्मी के कारण महिला को हीट स्ट्रोक और डिहाईड्रेशन की शिकायत थी। अस्पताल में महिला के लिए स्ट्रेचर मुहैया नहीं करवाया गया। उपचार के बाद महिला को छुट्टी दे दी गई। इमरजेंसी से वापसी के दौरान भी महिला को व्हीलचेयर या स्ट्रेचर मुहैया नहीं करवाया गया। पूछे जाने पर अपनी मां को लेकर आए युवक ने यह तो बताया कि उन्होंने अस्पताल में स्ट्रेचर की मांग की थी, लेकिन उसने किसी तरह की शिकायत करने और नाम बताने से इंकार कर दिया।

एक माह के अंदर सेफ्टी ऑडिट कराए कारखाना प्रबंधक

'LLAAUP' के चेयरमैन आर सी माथुर एवं प्रदेश अध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में एसोसिएशन ने नव नियुक्त उप निदेशक कारख़ाना ओ पी भारती का गौतमबुद्धनगर में स्वागत किया।

नोएडा। कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए बैठक हुई। इस बैठक में अति खतरनाक श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उद्योगों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

बैठक में उप निदेशक कारखाना ओपी भारती ने एक माह के अंदर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश कारखाना प्रबंधकों को दिए। उप निदेशक कारखाना ओपी भारती ने कारखाना प्रबंधकों को श्रमिकों व आसपास में रहने वाली आबादी की सुरक्षा को ध्यान में रख कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कारखानों में सुरक्षा समिति गठित करने और त्रैमासिक बैठक आयोजित कर रिपोर्ट कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए। जिस भवन में कारखाना स्थित है उसकी स्टडी रिपोर्ट एक माह के अंदर सौंपने के निर्देश इस बैठक में दिए गए। उप निदेशक ने कहा कि कारखानों के लिए पूर्व में बनाए गए ऑन साइट इमरजेंसी प्लान की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी। इसके अलावा कारखानों में इस्तेमाल की जा रही है प्रेशर वेसेल्स और चेन पुली आदि की जांच वर्ष में दो बार कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। ताकि यहां पर कार्यरत लोगों को पूरी तरह से सुरक्षा मिल सके और उनका परिवार भी सुरक्षित रहे।

उपश्रमायुक्त पी के सिंह का स्वागत 'LLAAUP' के चेयरमैन आर सी माथुर एवं प्रदेश अध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह ने किया

गाजियाबाद। उपश्रमायुक्त पीके सिंह ने कहा है कि उनके दरवाजे सभी के लिए खुले रहेंगे। तथा वे श्रमिकों के साथ–साथ उद्यमियों के हितों का भी ख्याल रखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका प्रयास होगा कि मुकदमों का निबटारा आपसी सहयोग एवं सामंजस्य के माध्यम से किया जाए। ताकि लंबित पड़े मुकदमों को अतिशीघ्र निबटाया जा सके।

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com
Editorial
04 P.
गाजियाबाद, जून, 2018

सम्पादकीय

प्रदूषण की हवा

सत्येन्द्र सिंह

सिर्फ कागजी खानापूर्ति

दिल्ली और आसपास के राज्यों की हवा फिर से जिस स्तर पर प्रदूषित हो गई है, वह चिंताजनक है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़ तक इस वायु प्रदूषण की जद में हैं। राजस्थान और बलूचिस्तान की ओर से जो गरम और धूल भरी हवाएं उठीं हैं, उससे आसमान में धूल की चादर बन गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी प्रदूषण के इस स्तर को बेहद खतरनाक बताया है। इससे हालात की गंभीरता का पता चलता है। मौसम वैज्ञानिकों ने धूल की चादर बनने की वजह पश्चिमी विक्षोभ बताई है। फिलहाल हालत यह हो गई है कि हवा में नमी नहीं होने की वजह से धूल का असर कई दिनों तक बना रहने का खतरा बन गया है। जिस हवा में लोग सांस ले रहे हैं उसमें धूल के खतरनाक कण भी अंदर जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में अचानक बदलाव और उसके दुष्प्रभाव देखने को मिले हैं। बेमौसम की बारिश, आंधी-तूफान, चक्रवात को इसी की देन कहा जा सकता है। पिछले महीने उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में आंधी-तूफान ने जो तबाही मचाई थी, उसका कारण भी पश्चिमी विक्षोभ ही माना गया था। दिल्ली पहले ही दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में शुमार है। ऐसे में हवा में धूल की मात्रा बढ़ जाने से इससे पैदा होने वाला जोखिम कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। दिल्ली, इसके आसापास के इलाके और पड़ोसी राज्य लंबे समय से वायु प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। धूल की परत की वजह से दस मिलीमीटर से कम मोटाई वाले कणों की मौजूदगी का स्तर खतरे के मानक से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। ये कण सीधे सांस से भीतर जाते हैं और गंभीर रोगों का कारण बनते हैं। कुल मिला कर हालत यह है जैसे लोग किसी गैस चैंबर में रह रहे हों। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी इस बात की तसदीक की है कि राजस्थान से जो धूल भरी आंधी उठी है, उससे हवा एकदम खराब हो गई है और उसमें मोटे कणों की मात्रा बढ़ गई है। हवा से धूल के ये कण लगातार फैल रहे हैं। इससे वातावरण में घुटन-सी पैदा हो गई है। ऐसे हालात अभी कुछ दिन बने रह सकते हैं। इसीलिए बोर्ड ने यह चेतावनी जारी की है कि लोग तीन-चार घंटे से ज्यादा बाहर न निकलें और खुले में कम से कम आवाजाही करें। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि इस साल मार्च से मई के बीच राजधानी और इसके आसपास की हवा बहुत खराब रही है। यह चिंताजनक बात है। लेकिन खतरे की ऐसी घंटी तो बार-बार बजती रही है। सवाल है कि क्या इससे अभी तक कोई सबक लिया गया है। न तो नागरिक चौकस हुए हैं, न ही सरकारों ने अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाने में संजीदगी दिखाई है। हवा खराब न हो, इसके लिए शायद ही कोई ठोस कदम उठाए गए हों। पिछले साल सर्दी में राजधानी में जब प्रदूषण खतरे के सारे पैमानों को लांघता हुआ जान पर बन आया था और इमर्जेंसी जैसे हालात घोषित करने पड़े थे, तब लगा था कि अब तो लोगों और सरकारों की आंख खुलेगी। लेकिन लगता है कि किसी ने भी उस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। अदालती आदेशों के बावजूद निर्माण गतिविधियों और खुले में कचरा जलाने पर रोक नहीं लग पाई है। दिल्ली में पहाड़ जैसे खड़े कूड़ाघर जहरीली हवा फैला रहे हैं।

मोदी नापसंद हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से हटाइए, हत्या की साजिश क्यों?

देश में मोदी हटाओ अभियान तेज हो गया है। वैसे तो यह लोकतांत्रिक रीति रिवाज है कि हर पांच साल बाद लोगों को नई सरकार चुनने का अवसर मिलता है। हर राजनीतिक दल स्थापित सत्ता को उखाड़ अपनी सरकार बनाने व सत्तारूढ़ दल अपना दबदबा कायम रखने के लिए संघर्ष करता है। देश में पिछले चार सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ की सरकार चल रही है। कइयों को मोदी पसंद हैं तो नापसंद करने वाले भी कम नहीं और वे ही चला रहे हैं 'मोदी हटाओ अभियान'। अभियान चलाओ, अच्छी बात है पसंद नहीं है तो चलता करो ऐसी सरकार को लेकिन ईवीएम से न कि मशीन गन से, मत का प्रयोग करके न कि किसी की मौत पर यज्ञ करो, जन मुद्दे उठाओ किसी का जनाजा उठाने की साजिश करना ठीक नहीं। साल 2019 जैसे-जैसे देहरी पर आता दिख रहा है मोदी हटाओ अभियान और भी तेजी पकड़ता जा रहा है। अभियान नया नहीं है। पहले इसका नाम मोदी रोको था, जो धाराशायी हो कर अंधनिंदा व अवरोध में बदला और अब मोदी रोको का रंग ले चुका है। गणतंत्र में विश्वास रखने वाले अपनी तैयारी में हैं और गनतंत्र वाले अपनी परंतु कहीं-कहीं दोनों के बीच दुरभी संधि की दुर्गंध भी आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि सरकारों के आने-जाने का सिलसिला तो चलता रहेगा परंतु सबसे महत्त्वपूर्ण है देश का लोकतंत्र। परंतु मोदी की हत्या की साजिश की खबरें बता रही हैं कि होता इसके विपरीत दिख रहा है। सरकार हटाने के नाम पर नेता को हटाने की योजना बन रही है और मनपसंद सरकार के लिए लोकतंत्र की छाती पर बंदूक तानी जा रही है।

हाल ही में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और उनके पास से एक चिट्ठी बरामद हुई है जिससे पता चलता है कि नक्सली लोग मोदी की हत्या करने का षड्यंत्र रच रहे थे। चिट्ठी की भाषा अत्यंत चिंताजनक है फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में सोमवार को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा की समीक्षा भी की और नए खतरे से निपटने के लिए एक योजना तैयार करने की भी बात कही गई है। षड्यंत्र के तार जुड़े महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव से जहां एल्गान परिषद् के एक कार्यक्रम के बाद हिंसा भड़क उठी थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। इस संबंध में एक प्राथमिकी में कबीर कला मंच नाम को अभियुक्त बनाया गया जबकि दूसरी में गुजरात के नेता जिग्नेश मेवाणी और जेएनयू में भारत को टुकड़े-टुकड़े करने के नारे लगाने के आरोपी उमर खालिद को। पुलिस का कहना है कि कबीर कला मंच का संबंध माओवादियों से है।

पुणे की पुलिस के अनुसार, एल्गार परिषद् के

पुलिस ने कहा है कि माओवादियों ने ही भीमा कोरेगाँव में पेशवा की हार की 200वीं बरसी के आयोजन में आर्थिक मदद की थी। पूरे प्रकरण में दिल्ली, मुंबई, पुणे और नागपुर में की गई इन छापामारियों के बाद पुलिस को माओवादियों के शहरी नेटवर्क का पता लगाने में सफलता हासिल की है। आरोपियों में सुधीर ढलवे मराठी पत्रिका विद्रोही के संपादक हैं। ढवले माओवादियों के शहरी नेटवर्क का हिस्सा है।

सदस्यों और कार्यकर्ताओं की जाँच के दौरान नेताओं की ईमेलों की भी जांच की गई। इसी दौरान वो ई-मेल भी सामने आया, किसी कॉमरेड प्रकाश को किसी एम ने लिखा था। इसी मेल में राजीव गांधी हत्याकांड की तर्ज पर मोदी पर हमला करने की बात कही गई है। पुलिस ने कहा है कि माओवादियों ने ही भीमा कोरेगाँव में पेशवा की हार की 200वीं बरसी के आयोजन में आर्थिक मदद की थी। पूरे प्रकरण में दिल्ली, मुंबई, पुणे और नागपुर में की गई इन छापामारियों के बाद पुलिस को माओवादियों के शहरी नेटवर्क का पता लगाने में सफलता हासिल की है। आरोपियों में सुधीर ढलवे मराठी पत्रिका विद्रोही के संपादक हैं। ढवले माओवादियों के शहरी नेटवर्क का हिस्सा है। पेशे से अंग्रेजी की प्राध्यापक शोमा सेन की गिरफ्तारी नागपुर से की गई। उनके पति तुषार भट्टाचार्य को पिछले साल ही माओवादी समर्थक होने के आरोप में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सेन पर भी माओवादियों का समर्थक होने का आरोप है। तीसरे आरोपी पेशे से वकील सुरेंद्र गडलिंग है जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीपल्स लॉयर्स के महासचिव हैं। एक अन्य अभियुक्त रोना विल्सन माओवादी नेता प्रोफेसर जीएन साईंबाबा का नजदीकी साथी है। साईंबाबा को भी माओवादियों के शहरी नेटवर्क में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने दिल्ली में उनके घर पार छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। छापामारी अप्रैल में ही की गई थी, मगर जब्त की गई चीजों से उनके माओवादियों से संबंध का पता चला। जिस ई-मेल में प्रधानमंत्री पर हमला करने की बात कही गयी है वो विल्सन के यहाँ छापामारी में ही बरामद हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस को भी माओवादियों की ओर से धमकियां दी जा चुकी हैं।

देश इस बात से भलिभांति परिचित है कि वामपंथी विचारधारा को संघ परिवार, भाजपा और मोदी फूटी आंख नहीं सुहाते। रोचक बात है कि संघ और देश में वामपंथी दलों का जन्म एक ही साल हुआ और आरंभ से ही दोनों के बीच के रिश्ते तल्खी वाले रहे हैं। ज्यादा इतिहास में न जाते हुए केवल देश की राजनीति में मोदी के उदयकाल से लेकर अब तक की ही बात करें तो वामपंथियों ने सच्चे-झूठे आरोप लगा कर मोदी को केवल देश ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में भी बदनाम करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। गुजरात दंगों के बाद तो वामपंथियों ने मानो मोदी के खिलाफ जेहाद का ही ऐलान कर दिया। सभी को याद है कि मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने पर वामपंथियों ने कितनी हायतौबा मचाई। विगत लोकसभा चुनाव के दौरान वामपंथी लेखकों, बुद्धिजीवियों व नेताओं ने एक समाचारपत्र में खास अपील देश के लोगों को की कि वह मोदी को पराजित करने में कोई कसर बाकी न छोड़ें। इन्हीं वामपंथियों ने देश में असहिष्णुता की बात फैला कर पुरस्कार वापसी अभियान चलाया और देश-दुनिया में मोदी सरकार के खिलाफ खूब जहर उगला।

अभी-अभी समाचार आए हैं कि देश में माओवाद व नक्सलवाद समाप्त होने के करीब आ चुका है। ऊपर से भाजपा ने त्रिपुरा में लगभग अढ़ाई दशकों से चले आ रहे वामपंथ के गढ़ को पूरी तरह से धराशायी ही कर दिया। कहने का भाव कि मोदी सरकार व भाजपा ने बैलेट और बुलेट दोनों मोर्चे पर वामपंथ को करारी चोट पहुंचाई है। शायद यही कारण है कि वामपंथी आतंकी इतने खिसियाए हुए हैं कि वे मोदी को अलोकतांत्रिक ढंग से रास्ते से हटाने की जुगत में हैं। देश में बढ़ रही जातीय हिंसा, किसान के नाम पर हिंसक आंदोलन शंका पैदा करते हैं कि वामपंथी विचारधारा मुखौटा पहन कर अपना खेल खेल रही हैं। चुनावी वर्ष है, देश और समाज को जागरुक रहना होगा।

'LLAAUP' के संरक्षकों ने नई कार्यकारिणी को बधाई दी

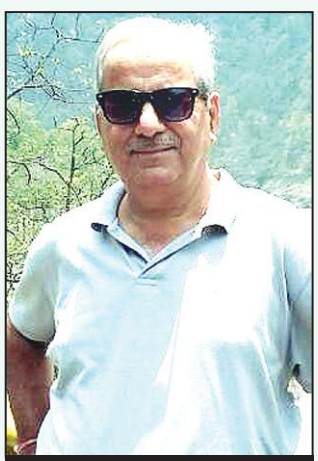

एड. अरूण कुमार (संरक्षक)
प्रबंधन समिति/बोर्ड

एड. योगेश गुप्ता (संरक्षक)
प्रबंधन समिति/बोर्ड

अशोक श्रीवास्तव (संरक्षक)
प्रबंधन समिति/बोर्ड

पैठ बाजार संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल वीके सिंह से मिला

गाजियाबाद। पैठ बाजार संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल अशोक संत के नेतृत्व में विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह से उनके निवास पर मिला। जिसमें व्यापार मंडल व पैठ बाजार के सम्बन्ध में अब तक की वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए पुलिस द्वारा दी गयी रिपोर्ट की जानकारी दी। जिसमें साफ साफ कहा गया है कि पैठ बाजार न्यायालय, पुलिस प्रशासन, जिला मजिस्ट्रेट के किसी आदेश से नहीं हटाया गया है। यह बाजार केवल गुंडागर्दी के बल पर डरा धमकाकर ताकत के बल से हटाया गया जिसमें पूर्व व वर्तमान के प्रशासन ने गरीबों के हक में कोई कदम ठोस कार्यवाई व सहानुभूति नहीं दिखाई। इसीलिए एक वर्ष से अधिक होने के बाद भी किसी ने कोई रुचि नहीं दिखाई तभी करीब तीस

❑ पैठ बाजार न्यायालय, पुलिस प्रशासन, जिला मजिस्ट्रेट के किसी आदेश से नहीं हटाया गया है : रिपोर्ट

हजार परिवार भूखे मरने पर मजबूर हैं। संघर्ष समिति के संयोजक अशोक संत ने वीके सिंह से मिलने के बाद तय किया कि अगर बाजार नवयुग मार्केट में नहीं लगने दिया गया तो अबकी बार आर पार की लड़ाई होगी। जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कोई निजी नहीं इससे भाजपा मजबूत होगी जिसकी फिक्र करना हर भाजपा कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। इस मौके पर प्रतिनिधि मंडल में रामबीर शिशौदिया, महेश गुप्ता, रमेश पाल, आनंद शर्मा, नफीस आदि उपस्थित थे।

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

गाजियाबाद, जून, 2018

एलएलएएयूपी के नवनियुक्त पदाधिकारी

प्रदेश कार्यकारिणी/प्रबंधक समिति (बोर्ड)

आई.एस.वर्मा (उपाध्यक्ष)
प्रबंधन समिति (बोर्ड)

डॉ.एस.एस.उपाध्याय (वरिष्ठ उपाध्यक्ष)
प्रबंधन समिति (बोर्ड)

अरविंद श्रीवास्तव (उपाध्यक्ष)
प्रबंधन समिति (बोर्ड)

राजेश सिंह (महासचिव)
प्रबंधन समिति (बोर्ड)

सीए राजीव श्रीवास्तव (कोषाध्यक्ष)
प्रबंधन समिति (बोर्ड)

वी.डी. व्यास (सह कोषाध्यक्ष)
प्रबंधन समिति (बोर्ड)

योगेश कुमार (संयुक्त सचिव)
प्रबंधन समिति (बोर्ड)

एड. आर.के. गौड़ (सचिन-कानूनी)
प्रबंधन समिति (बोर्ड)

एड. एस.के. शर्मा (सचिव संगठन)
प्रबंधन समिति (बोर्ड)

नीरज सिन्हा (सचिव समन्वय)
प्रबंधन समिति (बोर्ड)

गौतमबुद्ध नगर

शैलेश श्रीवास्तव (अध्यक्ष)
जिला समिति / गौतम बुद्ध नगर

कमलेश कुमार (उपाध्यक्ष)
जिला समिति / गौतम बुद्ध नगर

एड. आशीष माथुर (सचिव)
जिला समिति / गौतम बुद्ध नगर

ओ.पी. व्यास (कोषाध्यक्ष)
जिला समिति / गौतम बुद्ध नगर

निरंजन गुप्ता (संयुक्त सचिव)
जिला समिति / गौतमबुद्धनगर

एड. सुजीत कु. सिंहा (संयुक्त सचिव)
जिला समिति / गौतम बुद्ध नगर

एड. विरेन्द्र यादव (सदस्य (कानूनी)
जिला समिति / गौतमबुद्धनगर

एड. अमित गौड़ (सदस्य (कानूनी)
जिला समिति / गौतम बुद्ध नगर

रितेश वर्मा (सदस्य-संगठन)
जिला समिति / गौतमबुद्ध नगर

धर्मवीर सिंह (सदस्य-समन्वय)
जिला समिति / गौतमबुद्ध नगर

गाजियाबाद

एड. कुशल कुमार गोयल (अध्यक्ष)
जिला समिति / गाजियाबाद

सौरव मल्होत्रा (उपाध्यक्ष)
जिला समिति / गाजियाबाद

ब्रिजमोहन सिंह (सचिव)
जिला समिति / गाजियाबाद

राज सिंह (कोषाध्यक्ष)
जिला समिति / गाजियाबाद

धर्मपाल सिंह (संयुक्त सचिव)
जिला समिति / गाजियाबाद

एड. जितेन्द्र पाल (सदस्य (कानूनी)
जिला समिति / गाजियाबाद

दमयंती देवी (कार्यकारी सदस्य)
जिला समिति / गाजियाबाद

विजय सिंह नेगी (सदस्य)
जिला समिति / गौतमबुद्धनगर

जिला समिति / कानपुर

एडवोकेट वीरेन्द्र सिंह
(अध्यक्ष)
एस.पी.सिंह भदौरिया
(उपाध्यक्ष)
दीपमाला सिंह
(सचिव)
अजय सिंह
(कोषाध्यक्ष)
जे.एन.सचान
(संयुक्त सचिव)
महेन्द्र सिंह
(सचिव (कानूनी)
उमेश
(सचिव-संगठन)
राकेश सिंह
(सचिव समन्वय)

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

उद्योग–जगत

06 P.

E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

गाजियाबाद, जून, 2018

क्या हमारा देश अथवा राज्य पॉलीथीन मुक्त होगा?

गाजियाबाद। राष्ट्रीय सेमिनार आन पर्यावरण में पर्यावरणविंड सत्येन्द्र सिंह ने कहा की आज "विश्व पर्यावरण दिवस" पर चिंतन करने वाले लोग और सरकार के अलग–अलग कई कार्यक्रम हो रहे हैं, सोशल मेडिया में पोस्ट डाले जा रहे हैं.. अच्छी बात है प्रकृति से प्रेम होना चाहिए।

यहाँ एक बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिये आधुनिकता और बढ़ती जनसंख्या में प्रदूषण तो होगा ही। हमें इसके विस्तारण रोकने के साथ साथ निस्तारण के बारे में भी सोचना है।

आज सरकार सबसे ज्यादा पॉलीथिन बैग को रोकने में लगी है, प्रचार भी हो रही है, और पूरा विभाग भी लगा है इसे रोकने में। फिर भी भलीभांति प्लास्टिक का प्रचलन फलफुल रहा है। एक सवाल ये आता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम से क्या हमारा देश अथवा राज्य पॉलीथीन मुक्त होगा? जबतक पॉलीथीन का विकल्प नही होगा ये अभियान सिर्फ फ़ोटो और नारों में होगा।

पर विकल्प है क्या ?

पॉलीथीन का विकल्प शायद जूट बैग है, पर ये महंगा है, एक और बैग का भी प्रचलन है, वो भी महंगा है, जबकि पॉलीथीन कॉन्वेनैन्ट, डिस्पोसिब्ल, ईजिली अवेलेबल एवम् सस्ता है।

फायदा?

1 जागरूकता कार्यक्रम में सरकारी पैसो का दुरूपयोग रोकना।
2 विज्ञापन में पैसे की बबार्दी को रोकना।
3 नए बड़े रोजगार की गारंटी।
4 पॉलीथीन की कूड़े के ढेर से सफाई।
5 नए फैक्ट्री का विस्तार।
6 पॉलिथीन का निर्माण और राजस्व की प्राप्ति।
उक्त विषय पर एक परिचर्चा होनी चाहिए, अगर सर्वहित में है, तो इसे लागू करना चाहिए।

सभी को पता है कि पॉलीथीन रेसीयक्लबल है अर्थात इसे दुबारा बनाया जा सकता है। घर या कूड़े से इसे रोज़ इकठ्ठा किया जाय, इसे इकठ्ठा करने का जिम्मा किसी एनजीओ या बेरोजगार विशेष लोगो को दिया जाये, उन्हें इस कार्य के लिए पारश्रमिक या उससे खरीद लिया जाये। सरकार की देख रेख में एक मंडी बने, और फिर इकट्ठा किये हुए पॉलीथीन वेस्ट को रीसायकल फैक्ट्री में भेजा जाये।

श्रमिकों को अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी के चलते करना पड़ रहा समस्याओं का सामना

नोएडा। गौतमबुद्धनगर जनपद में सहायक श्रम–आयुक्तों (अधिकारियों) एवं कर्मचारियों की कमी की वजह से सेवा योजकों एवं श्रमिकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जनपद में पूरे उ.प्र. में सबसे अधिक मुकदमे (लगभग 7600) लम्बित चल रहे हैं जिसके कारण यहां अधिकारी को एक दिन में लगभग 300–400 मुकदमों की सुनवाई करनी पड़ रही है जो की अन्याय है तथा एक दिन में इतने अधिक मुकदमों की सुनवाई न्याय हित में भी नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि जनपद में मुकदमों के त्वरित निस्तारण हेतु और अधिक सहायक श्रम–आयुक्तों (अधिकारियों) एवं कर्मचारियों की तैनाती की जाये ताकि मुकदमों का त्वरित निस्तारण हो सके तथा एक अधिकारी को अधिक मुकदमों के बोझ से बचाया जा सके तभी न्याय हित में अधिकारी कार्य कर पाएंगे अन्यथा सेवा योजकों एवं श्रमिकों को न्याय नहीं मिल सकेगा।

साथ ही आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि वर्तमान में उप–श्रमायुक्त कार्यालय गौतमबुद्ध नगर में वरिष्ठ सहायक के 6 पद है जिनमें से 3 रिक्त हैं, कनिष्ठ सहायक के 4 पद हैं जिनमें से 2 पद रिक्त हैं, चपरासी के 10 पदों में से 4 रिक्त हैं, पूर्व में 4 सहायक श्रमायुक्त यहां पर रह चुके हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि श्रमआयुक्तों की संख्या भी कम से कम 4 की जाये।

जनपद में अविलम्ब अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती न्याय व्यवस्था को बनाये रखने के लिए की जाये ताकि न्याय व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके एवं पक्षकारों को समय से न्याय मिल सके।

सागर फहराएंगे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर झंडा

गाजियाबाद। पर्वतारोही सागर कसाना अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराएंगे। इसके लिए वह बुधवार को दिल्ली से उड़ान भरेंगे। सागर ने बताया कि तांजानिया में स्थित किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। इससे पहले सागर 2017 में लेह लद्दाख की माउंट गोलप कांगरी चोटी पर तिरंगा फहरा चुके थे। 2016 में हिमाचल प्रदेश की सेतीदार पीक और 2018 में अरुणाचल प्रदेश की वर्जिन पीक फतह कर चुके हैं। सागर शहर की गऊपुरी कालोनी में रहते हैं। इन चोटियों पर चढ़ने वाले वह पहले गाजियाबादी हैं।

20 वर्षीय युवा पर्वतारोही सागर कसाना के पिता अजब सिंह कसाना ने बताया कि पर्वतारोहण के प्रति वह बचपन से ही उत्साहित है। घर की छत, पेड़ आदि पर चढ़कर सीखने वाले सागर अब समुद्र तल से 5,895 मीटर ऊंचाई पर स्थित किलिमंजारो चोटी पर चढ़कर तिरंगा फहराएंगे।

प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न

गौतमबुद्धनगर। नोएडा के गोल्फ व्यू रेस्टोरेन्ट में LLAAUP की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। जिसमें गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद एवं कानपुर की जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया।

ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मोर्चा नए कलेवर में

- नए मोर्चे के संरक्षक आर.पी. सिंह चैहान ने कहा है कि श्रमिकों की समस्याओं को देखते हुए यह मोर्चा बनाया गया है ताकि श्रमिकों के हितों की लड़ाई को धार दी जा सके

नोएडा। गौतमबुद्धनगर में कार्यरत समस्त केन्द्रीय ट्रेड यूनियन महासंघों/फैडरेशनों की संयुक्त बैठक 6 जून 2018 को नईम अहमद की अध्यक्षमता में हुई। बैठक में संयुक्त ट्रेड यूनियन्स मोर्चा का गठन कर नये पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। मोर्चा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों में सुधीर कुमार त्यागी अध्यक्ष, नईम अहमद उपाध्यक्ष, रामनरेश यादव महामंत्री, एस.एस.चौहान संयुक्त मंत्री, संतोष कुमार तिवारी प्रचार मंत्री, ए.के.पचौरी कोषाध्यक्षर, एल.सी.राय कार्यकारिणी सदस्य, साहब सिंह कार्यकारिणी सदस्य, प्रेम कुमार त्यागी कार्यकारिणी सदस्य, जितेन्द्र कुमार कार्यकारिणी सदस्य आदि उपरोक्त सभी पदाधिकारियों का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से उदय चन्द झा को मोर्चे का संरक्षक व आर.पी. सिंह चौहान को मोर्चे का संयोजक चुना गया। बैठक में सहायक श्रमायुक्त एन.के.शुक्ला का शासन द्वारा स्थानान्तरण किये जाने के बाद भी वे अपनी कुर्सी पर जमे रहकर मजदूरों के हितों के खिलाफ काम करते रहे। जिसके कारण मोर्चे द्वारा विरोध किए जाने पर उनको तुरंत उनके पद से मुक्त कर दिया गया। इस सफलता पर मोर्चे के अध्यक्ष सुधीर कुमार त्यागी ने सदस्यों को बधाई दी। बैठक में एच.एम.एस, एटक, सीटू, यू.टी.यू.सी.इन्टक, यू.पी.एल.एफ. यूटी यूसी (एल.एस) आई.सी.टी.यू. आदि सभी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।

11 खिलाड़ी नेपाल में दिखाएंगे दमखम

गाजियाबाद। जिले के 11 डांसर्स नेपाल में होने वाले स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। देश से कुल 51 खिलाड़ी अलग–अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए नेपाल जा रहे हैं। 11 गाजियाबाद के हैं। सभी खिलाड़ी 20 जून को काठमांडू के लिए रवाना होंगे। 21 जून को दशरथ रंगशाला स्टेडियम में होने वाली इंडो–नेपाल डांस प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। उत्तर प्रदेश डांस स्पोर्ट्स एसोसिएशन के महासचिव रजनीकांत ठाकुर ने बताया सभी 11 खिलाड़ियों का चयन चंडीगढ़ में जनवरी में हुई नेशनल डांस चैंपियनशिप में किए प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। इनमें राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुपर मॉम रचना वार्ष्णेय भी शामिल हैं। अन्य खिलाड़ियों में श्रेया मंगल, सृष्टि शर्मा, नेहा चौधरी, अवनी गर्ग, शोभित थापर, मौली जेन, मोहित कुमार, यश कुमार, तृषा वार्ष्णेय व श्रव्या त्यागी शामिल है।

उद्योग विहार
निष्पक्ष नागरिक समाचार पत्र
राष्ट्रीय
07 P.
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com
गाजियाबाद, जून, 2018

जोनवाइज जल दोहन करने वालों पर निगम कसेगा शिकंजा

- 180 फीट नीचे गिरा भूजल स्तर और प्रत्येक वर्ष गिर रहा है लगातार, आने वाले समय में हो सकती है दिक्कत

गाजियाबाद। नगर निगम सीमा में जलादोहन करने वाले लोगों की अवखैर नही। नगरायुक्त ने जोनवाइज जलादोहन करने वालों को चिन्हित करने के लिए जोनल प्रभारियों को निर्देश दिए है। सूची तैयार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम सीमा में जलादोहन का गोरखधंधा दिन पूर्ति दिन फल फूल रहा है। जिसके कारण भूजलस्तर 180 फीट से नीचे चला गया है और प्रत्येक वर्ष गिर रहा है। इस समस्या को लेकर शासन से लेकर प्रशासन तक चिंतित है मगर इस गोरख धंधे को बन्द कराने के लिए समय समय पर अभियान भी चलाए जाते है लेकिन इन पर अंकुश लगाने में प्रशासन निराशा ही हाथ लग रही है।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था मगर कमेटी द्वारा अवैध दोहन के विरूद्ध शख्त कार्यवाई की आवश्यकता है। इस मामले में नगरायुक्त चन्द्र प्रकाश सिंह ने पांच जोनल प्रभारियों को लिखित आदेश कर अवैध जल दोहन करने वालों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए है साथ ही उन्होने उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए है।

दरअसल, लगातार भूजल स्तर गिरता जा रहा है मगर नगर निगम नागरिकों को नियम के अनुसार पेयजल उपलब्ध नही कराए जाने का कुछ विरूद्ध शख्त कार्यवाही का प्रावधान है। नगर निगम को भी अवैध रूप से भूजल दोहन करके दिल्ली, शाहदरा व अन्य इलाकों में पानी बेचा जा रहा है। जिसकी शिकायत अक्सर जिलाधिकारी व नगर निगम को मिल रही है। शिकायतों का निस्तारण कर जलादोहन पर रोक लगाए और उनकी सूची तैयार की जाए। ताकि गिरते भूजल को जल्द से जल्द रोका जा सके।

गंदे पानी की सेल्फी निगम अधिकारियों को भेजी

गाजियाबाद। शालीमार गार्डन मेन में नगर निगम की ओर से 48 घंटे बाद जलापूर्ति होती है। शुक्रवार सुबह यहां पानी आना था। सुबह लोगों ने नल की टोटी खोली तो उसमें से सीवर युक्त गंदा पानी निकला। पानी से झाग और तेज बदबू निकली। इससे लोग पानी का किसी भी काम में उपयोग नहीं कर सके।

लोगों को मजबूरी में बाजार से बोतलबंद पानी खरीदकर और सबमर्सिबल से काम चलाना पड़ा। इससे नाराज स्थानीय निवासी अनिल कुमार ने गंदे पानी के साथ सेल्फी ली और उसे नगर निगम के अधिकारियों के पास भेज कर विरोध दर्ज किया।

वहीं, जलकल के अवर अभियंता डीके सत्संगी ने बताया कि पेयजल लाइन की जांच कर गंदे पानी के आपूर्ति के कारणों का पता लगाकर दूर किया जाएगा।

हिंडन को बचाने की कवायद तेज

पांच बिन्दुओं पर किया जा रहा खाका तैयार

गाजियाबाद। हिंडन नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए और सख्ती बरती जाएगी। जिला स्तर पर पांच बिन्दुओं का खाका तैयार किया जा रहा है। यह योजना 20 जून तक मंडलायुक्त को भेजनी है। यही नहीं, मंडलायुक्त को नदी को बचाने के लिए अभी तक किए सभी प्रयास की जानकारी भी दी जाएगी।

सहारनपुर से लेकर गौतमबुद्धनगर तक हिंडन नदी का प्रदूषण से बुरा हाल है। प्रदूषण की मार झेल रही नदी दम तोड़ चुकी है। इसे नया जीवन देने के लिए बड़े स्तर पर निर्मल हिंडन अभियान चलाया जा रहा है। मंडलायुक्त डॉ. प्रभात कुमार अभियान की खुद निगरानी कर रहे हैं। वह सहारनपुर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर आदि जिलों में जाकर हिंडन नदी का जायजा ले रहे हैं। मंडलायुक्त ने हिंडन नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए चलाए जा रहे अभियान की मेरठ समीक्षा की। इसमें मौजूद जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी से जानकारी ली गई। डीएम ने बताया कि हिंडन किनारे हजारों

की संख्या में पौधे रोपे गए। नदी में गिरने वाले नालों पर रोक लगा दी गई। नदी में कचरा डालने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मंडलायुक्त ने डीएम से नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए पांच बिन्दुओं पर रिपोर्ट मांगी है।

इसमें हिंडन को साफ करने के लिए डीएम को पूरा खाका तैयार करना होगा। यह रिपोर्ट 20 जून तक मंडलायुक्त को भेजी जानी है। इस रिपोर्ट में यह भी बताना होगा कि नदी को बचाने के लिए अभी तक क्या-क्या प्रयास किए गए। हिंडन निर्मल अभियान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के नाम भी मांगे गए ताकि उनके खिलाफ शासन को लिखा जा सके।

हिंडन नदी में कचरा डालने पर रोक लगाई गई। इसके बावजूद कुछ लोग कचरा डालने से बाज नहीं आ रहे। हाल ही में कुछ लोगों ने नदी में दो ट्रक कचरा डाल दिया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन इसके बाद भी नदी में कचरा डाला जा रहा है।

एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर पिछले तीन दिनों से धूल का चेंबर बना हुआ जिसे देखते केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सारे निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह फैसला बढ़ते प्रदूषण को देखकर लिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आदेश है कि स्टोन क्रशर के काम पर भी तुरंत रोक लगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नीति आयोग की बैठक के बाद कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन के साथ विशेष बैठक बुलाएंगे जिसमें दिल्ली को अगले 2 साल में वायु और जल प्रदूषण से फ्री करने के लिए एक प्लान तैयार किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में राजस्थान से चली धूल भरी आंधी के चलते सांस लेना दूभर हो गया है। सबसे खास बात ये है कि दिल्ली में बीते तीन महीने में एक भी दिन अच्छी एयर क्वालिटी नहीं रही है। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार गया। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 891 पहुंचा गया। हवा के इस खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गुरुवार की दोपहर पर्यावरण मंत्री और अफसरों के साथ बैठक कर यह फैसला लिया कि राजधानी में 17 जून तक निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक रहेगी। इस दौरान निगम और संबंधित विभाग इस पर नजर रखेंगे। अब यह सवाल उठता है कि जब भी प्रदूषण के कारण ऐसी खतरनाक स्थिति बनती है और हवा की क्वालिटी इस स्तर पर पहुंचती है तो सबसे पहले निर्माण कार्यों पर ही रोक लगाई जाती है? उसकी खास वजह है। कंसट्रक्शन इंडस्ट्री प्रदूषण का एक बड़ा स्त्रोत है और यह 4 फीसदी पार्टिकुलेट पीएम का उत्सर्जन करता है। किसी भी इंडस्ट्री की तुलना में सबसे ज्यादा इसी से ही पानी का प्रदूषण होता है। इसके अलावा, हर साल इसके चलते काफी मात्रा में ध्वनि प्रदूषण की शिकायतें आती हैं।

स्कूलों को अगले माह तक दाखिलों की प्रक्रिया को करना होगा पूरा

गाजियाबाद। सभी स्कूलों को अगले माह के पहले सप्ताह तक आरटीई के तहत होने वाले दाखिलों की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसमें दोनों चरण में चयनित हुए सभी बच्चों के दाखिलों को समय से करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे छुट्टियों के बाद सत्र शुरू होते ही छात्र निजी स्कूलों में पढ़ सकें। बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेश श्रीवास ने बताया की सभी स्कूलों को सख्त हिदायत दी गई है कि छात्रों के दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद अगले माह के पहले सप्ताह तक सभी छात्रों के दाखिले की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इससे छात्रों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा। स्कूलों में भिजवाए गए पत्रों में छात्रों से संबंधित सभी जानकारी दी गई है। अगर कोई भी स्कूल दस्तावेजों में कमी के आधार पर दाखिले नहीं देगा। ऐसे स्कूलों की तुरंत जांच की जाएगी। सभी स्कूलों को आदेश दिया गया है कि जुलाई के पहले सप्ताह तक सभी छात्रों के दाखिले करने होंगे। इसके बाद स्कूलों का औचक निरीक्षण कर यह पता लगाया जाएगा

कि बच्चों के दाखिले किए गए या नहीं। आरटीई के तहत होने वाले दूसरे चरण के दाखिलों की सूची स्कूलों में भिजवा दी गई है। सभी अभिभावक स्कूल में जाकर दाखिले की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। दूसरी सूची के अनुसार 889 छात्रों के दाखिले होने हैं। जिलाधिकारी की स्वीकृति के बाद विभाग की तरफ से सभी स्कूलों में पत्र भी भिजवा दिए गए हैं। पहले चरण के दाखिलों के लिए 20 अप्रैल को बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छात्रों के दाखिले का पत्र भिजवा दिया था। दो महीने से भी अधिक समय बीत गया है, लेकिन स्कूलों ने दाखिलों की प्रक्रिया पूरी नहीं की है।

जनपद में चार स्कूल ऐसे हैं जो आरटीई के तहत दाखिले नहीं ले रहे हैं। इन स्कूलों की जांच के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिलाधिकारी को नोटिस भी भेजा है। अभिभावक सतेंद्र ने बीएसए से शिकायत की है कि सभी दस्तावेज पूरे होने पर भी प्रताप विहार स्थित डीएवी स्कूल उनके बच्चे को दाखिला नहीं दे रहा है। पिछले दो माह से वे विभाग व स्कूल के चक्कर काट रहें हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बीएसए का कहना है की सभी पात्र छात्रों को दाखिला दिया जाएगा।

खंड शिक्षा अधिकारी जांच करके सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित स्कूलों ने दोनों चरणों की सूची के हिसाब से समय सीमा के अंदर दाखिले ले लिए हैं अथवा नहीं। सभी स्कूलों को अगले माह के पहले सप्ताह तक दाखिले करने होंगे । जिन स्कूलों में दाखिले के पत्र भिजवाए गए हैं। उनमें देखा जाएगा कि आरटीई के तहत दोनों चरणों में चयनित हुए छात्रों के दाखिले ले लिए गए हैं या नहीं। जो स्कूल नियम का पालन नहीं करेगा, उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आय बढ़ाने के लिए गुरू मंत्र देंगे नगरायुक्त

गाजियाबाद। अमृत योजन में नाम दर्ज कराने के बाद नगर निगम प्रदेश का तीसरे नम्बर पर आ पहुंचा है। प्रदेश में लखनऊ, कानपुर के बाद गाजियाबाद ऐसा नगर निगम है जिसने लक्ष्य से अधिक टैक्स वसूली की है। दरअसल बीते दिनों लखनऊ में एक बैठक आयोजित हुई। जिसमें प्रदेश के सभी नगरायुक्तों ने भाग लिया। बैठक में गाजियाबाद व मेरठ के नगरायुक्तों ने नगर निगम की आय में वृद्धि के गुण प्रस्तुत किए जिससे नगर निगमों की आय में वृद्धि की जा सकें। नगरायुक्त सीपी सिंह ने बताया की लखनऊ में बैठ आयोजित की गई जिसमें प्रदेश के समस्त नगरायुक्त व नगर पालिका, नगर पंचायत के प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक का उद्देश्य नगर निकाओं की आय में वृद्धि कराना था। गौरतलव है की वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगरायुक्त ने समस्ता जोनल प्रभारियों को सौ प्रतिशत टैक्स वसूली का लक्ष्य दिया था।

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

E-mail : udyogviharnp@yahoo.com
गाजियाबाद, जून, 2018

First Aid Training from St. John Ambulance &

Awareness Programme on Anti-Sexual Harassment of Women at Workplace

Organized by: - Legal Infosolutions Pvt Ltd., Utthan Samiti & Slap Foundation

Supported by: - Labour Department.

First Aid Training from St. John Ambulance

The Factories Act is a labour welfare legislation, enacted to regulate service conditions of workers in a factory by making provisions for health and safety more so when the factory carries on any hazardous process or uses dangerous machines in manufacturing process. Thus Sec.7A of the Factories Act stipulates the duties of occupier in general. Clause (c) of Sub-section (2) of section 7A requires that the occupier shall provide information, instruction, training and supervision as are necessary to ensure the health and safety of all workers at work. The Factory Rules of the States enumerate various health and safety measures for the safety and welfare of the workers.

CERTIFICATE OF TRAINING

One day against nominal fee and with a certificate for participation by the St. John Ambulance jointly, he/she will be eligible to be member or even Presiding Officer of the Internal Committee to be constituted under the Act.

Time- 9:30 A.M. - 01:00 P.M.

Awareness Programme on Anti-Sexual Harassment of Women at Workplace

Every employer employing 10 or more employees has to constitute an Internal Committee as stipulated by Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013 (SHWW Act) and amongst four, one member should be a person familiar with the procedure relating to sexual harassment of women at workplace.

CERTIFICATE FOR PARTICIPATION

One day against nominal fee and with a certificate for participation by the Legal Infosolutions Pvt Ltd, Utthan Samiti & SLAP Foundation jointly, he/she will be eligible to be member or even Presiding Officer of the Internal Committee to be constituted under the Act not only for his/her establishment but will also be entitled an expert member for other establishments against professional fee. This will enhance his/her income, status, career and confidence besides supplementing the income.

Industries

Corporates

Institutions

Hospitals are more vulnerable for such type of incidents

Time- 2:00 A.M. - 05:30 P.M.

Participation fee: For First Participant **Rs.5720** (inclusive of GST)

For the next participant from the same organization **Rs.5130** each (inclusive of GST).

Inclusive of Written Material Kit.

Followed by Tea / Coffee and Lunch.

Venue: Hotel Radisson Blu MBD Noida,

Sector-18, Noida.

(Nearest Metro Station: Sector-18, Noida)

Date & Timing: 27th July, 2018 (9:30 am to 5 :30pm)

Payment Detail: Cheque to be drawn in favour of **Legal Infosolutions Pvt Ltd.** The amount can be transferred/deposited in **ICICI BANK** (Current Account) A/c No.088805000366, Branch: Chiranjeev Plaza, Chiranjeev Vihar, Near Shastri Nagar, Ghaziabad-201002, RTGS/NEFT/IFSC: ICIC0000888 in any branch all over India in favour of Legal Infosolutions Pvt Ltd with an intimation to us by **e-mail:** legaliplinfo@gmail.com

M/s LEGAL INFOSOLUTIONS PVT LTD.

(A Complete HR and Payroll Outsourcing Company)

H.O.: -BE-243 GF AVANTIKA, GHAZIABAD-U.P.-201002

E-MAIL- legaliplinfo@gmail.com / legalipl243@gmail.com

WEB: - www.legalipl.com **Contact No.-** 9818697406 / 9818036460

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक **"सत्येन्द्र सिंह"** द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी–9, सैक्टर–3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.–243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
फोन : 0120–4122901 / 4108794 **मोबाइल नं. :** 9818036460 / 9818697406 **E-mail :** udyogviharnp@yahoo.com **संस्थापक :** शीतला प्रसाद सिंह **प्रधान सम्पादक :** सत्येन्द्र सिंह **सम्पादक :** बबिता सिंह **सह सम्पादक :** राजेश सिंह